



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1942 (श10)
(सं० पटना 650) पटना सोमवार 28 सितम्बर 2020

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2020

सं० 01/मु0स्था0रा0भू0(विविध)-15-02/2012-1073(1)/रा0,— श्री रविन्द्र पटवारी, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-04 के अधीन बिहार भूमि न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह नियुक्ति, पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या उनकी 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होगी।

3. इनकी सेवा-शर्त, बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 एवं बिहार भूमि न्यायाधिकरण नियमावली, 2010 के सुसंगत प्रावधानों में विनिर्दिष्ट सेवा-शर्त के अनुरूप होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 650-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>